




फर्द अहकाम

कालूराम बनाम गिरधारी वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)
प्रकरण संख्या 226/2022 दावा बाबत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
183,188आरटीएक्ट

| क. संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-----------|---------------------------|---|-------------|
| | 23/3/22 | <p>वादी की ओर से वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री रामगोपाल कुमावत के द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 1.8.19/22 को पेश हों ।</p> <p style="text-align: right;"> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p> | |
| | 18/4/22 | <p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>पूरे</u> हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 19/5/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">(रीडर)</p> | |
| | 19/5/22 | <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 18/6/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p> | |
| | 13-6-22 | <p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>पूरे</u> हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 14-7-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(रीडर)</p> | |
| | 14/7/22 | <p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के तत्वाज लगे हैं। उड़ी नार-2 तत्वाज लगे पर भी वादी स्ति 9 उन्ने मफिफता को उपस्थित नहीं है। नर-2 पर मफम एजरी कदम लेवी के विरुद्ध प्रिन्सपल हो। पत्रावली घेतल हुआ होर एडिल कफर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p> | |